



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2019. / स.नि.अनु. / 324-10 / 2021
दिनांक : 28.11.2022

अधिसूचना

विद्या-परिषद की दिनांक 07.11.2022 को संपन्न 43वीं बैठक की मद संख्या 4 (2) में लिए गए निर्णय के अनुपालन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थानीयता को दी जाने वाली प्रमुखता के अनुसार महाराष्ट्र के संत नामदेव व संत ज्ञानेश्वर को विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में समाहित करने के संबंध में समीक्षा (Review) करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :

- | | |
|--|-----------|
| 1. प्रो. कृष्ण कुमार सिंह, अधिष्ठाता, अनुवाद एवं निर्वचन विद्यापीठ | : अध्यक्ष |
| 2. प्रो. अवधेश कुमार, अधिष्ठाता, साहित्य विद्यापीठ | : सदस्य |
| 3. प्रो. प्रीति सागर, अध्यक्ष, हिंदी साहित्य विभाग | : सदस्य |

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

प्रति (ईमेल द्वारा) : उपर्युक्त सभी संबंधित

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
28/11/22

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. स्थापना एवं प्रशासन विभाग
5. प्रवेश प्रकोष्ठ/परीक्षा विभाग (आवश्यक कार्रवाई हेतु)
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली